# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315
E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / माचि. / 2022 / MINE-140 / 8522    भोपाल, दिनांक 24/11/2022

प्रति,

M/s Stratatech Minerals Resources Pvt. Ltd.
Adani Corpotate House, Shantigram,
Near Vaisho Devi Circle, S.G. Highway,
Khodiyar Ahmedabad-3824421Gujarat

विषय :– **Submission of 'Site Specific Wildlife Conservation Plan along with location plan and list of flora fauna' for authentication w.r.t. for proposed Dhirauli Coal Block with an area of 267.72 Ha. in Singruli Coalfields at village Aamdand Amraikhohm basi Berdah, Phatpani, Belwar, Dhirauli, Jhal;ari and Sirswah Tehsil Saral, Singruli District of Madhya Pradesh. (FP/MP/MIN/142344/2021)**

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक 448 दिनांक 02.11.2022

———

उपरोक्त विषयांतर्गत स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोस प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1436.19 हेक्टेयर में घिरौली कोल ब्लॉक का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण में प्रस्तावित खदान से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फ्लोरा–फौना के संरक्षण के लिये रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना वरधान इनवायरोनेट गुरगांव से तैयार कराकर संबंधित वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली को मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी। उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 7633 दिनांक 14.09.2022 से अनुशंसा सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश को प्रेषित की गई। उनके द्वारा संदर्भित टीप से वन्यप्राणी संरक्षण योजना अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार फ्लोरा–फौना की जानकारी/सूची एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राशि रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षो की वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रेषित की गई है, जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि निम्नानुसार हैः–

| Sl. No | Management interventions | Year wise financial projection (in Lac.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total |
| **WILDLIFE HABITAT IMPROVEMENT WORKS** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Development of water bodies | 40.00 | 00.00 | 25.00 | 00.00 | 20.00 | 00.00 | 10.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | **100.00** |
| 2 | Meadow development in the areas having canopy density less than 0.4 | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 05.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | **75.00** |
| 3 | Eradication of weed hindering the growth of palatable grasses | 00.00 | 30.00 | 00.00 | 20.00 | 00.00 | 15.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | **75.00** |
| 4 | Salt lick near water bodies/ suitable areas | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | **25.00** |
| 5 | Planting of species suitable to wildlife | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | **25.00** |
| **FIRE PROTECTION WORK** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Engaging fire watchers, cleaning and burning of fire lines, hiring vehicles, etc. | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | **50.00** |
| **SPECIAL PROVISION FOR HUMAN ELEPHANT CONFLICT** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Physical barriers like elephant proof trench, | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | **100.00** |



Scanned with OKEN Scanner

| Sl. No | Management interventions | Year wise financial projection (in Lac.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total |
| | removable barriers, etc. Solar / tentacle/ biological fencing | | | | | | | | | | | |
| 8 | Various acoustic and farm based deterrence's, Mobile app based technology, Elephant depredation squad, Awareness campaign, monitoring tower and miscellaneous | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | **245.00** |
| **ORGANIZATIONAL STRENGTHENING** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Purchase of vehicles for monitoring purpose, Wages related to monitoring/ maintenance work, fuel lubricant, etc. | 25.00 | 00.00 | 15.00 | 00.00 | 20.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | **70.00** |
| **STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT COMMITTEE FOR BETTER COOPERATION AND PROTECTION** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Developmental activities in JFM areas for socio-economic development | 40.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 35.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | **75.00** |
| 11 | various eco-tourism promotion activities | 00.00 | 00.00 | 40.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 35.00 | 00.00 | **75.00** |
| 12 | Construction of grainery, godown for safety from elephants. | 00.00 | 25.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 25.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | **50.00** |
| 13 | Distribution of seedlings of fruit bearing and other species in village areas. | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | **25.00** |
| **MISCELLANEOUS EXPENDITURES** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Safety precautions, signage, boards, displays | 15.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 10.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | **25.00** |
| 15 | Study tours for gaining experiences and knowledge about efforts being done, within or outside country in human elephant mitigation. | 25.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 25.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | **50.00** |
| | **Total** | **240.00** | **130.00** | **155.00** | **75.00** | **95.00** | **125.00** | **85.00** | **40.00** | **85.00** | **35.00** | **1065.00** |

मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त के द्वारा अनुशंसित वन्यप्राणी योजना के पृष्ठ क्रमांक 21 से 49 में उल्लेखित फ्लोरा–फौना के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु पृष्ठ क्रमांक 98 से 101 पर दर्शाये गये कार्यों के अनुसार रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त एवं एक प्रति वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली को उपलब्ध करायें।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत, माइन प्रारंभ होने के पूर्व समय–सीमा में संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि रूपये 1065.00 लाख एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

24.11.2022

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

E:\DM Sec\DM Letter 2022-23.docx



Scanned with OKEN Scanner

क्रमाक / व.प्रा. / मा.चि. / MINE-140 / 8523 भोपाल, दिनांक 24/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इम्पैक्ट असेस्मेंट डिविजन) इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोर बाग रोड नई दिल्ली–110003 की ओर उनके के पत्र क्रमांक J-11015/49/2021-IA-II(M) दिनांक 03.08.2021 से जारी स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति मे अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 1065.00 लाख आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली को एक मुश्त उपलब्ध कराने की शर्त अधिरोपित करने का कष्टकरें।
3. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर उक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि एक मुश्त आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यों का समय सीमा मे क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

24/11/2022

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner